

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :- 483 / 2025

पवन कुमार मीणा

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज शासन सचिवालय जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप 2/3) विभाग जयपुर।
4. निदेशक (अराजपत्रित) सह—अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, जयपुर।
5. प्राचार्य जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर।
6. अतिरिक्त प्राचार्य जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.02.2025

आदेश की दिनांक : 27.02.2025

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री विक्रम सिंह भावला, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- चेतन राम देवड़ा, सदस्य

असलम मेहर, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4 ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन से उम्मेद चिकित्सालय, जोधपुर में 200 किमी किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 08.03.2017 (अनुलग्नक-2) द्वारा यदि पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हो तो उन्हें यथा संभव निकटतम स्थान पर पदस्थापित रखा जावे। अपीलार्थी की पत्नी जे.के लॉन हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत है (अनुलग्नक-3)। अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजनैतिक आधार पर किया गया है (अनुलग्नक-4)। अपीलार्थी

का नाम पवन कुमार मीणा है जबकि आलोच्य आदेश में पवन मीणा गलत दर्शाया गया है। अपीलार्थी का आगे निवेदन है कि अपीलार्थी का पदस्थापन स्थान जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर है, जबकि आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का पदस्थापन स्थान जेएलएन हॉस्पिटल अजमेर दर्शाया है, जो गलत है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही कार्य करने दिया जावे।

हमने उभयपक्ष की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) के विरुद्ध अनुतोष चाहा है। आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का नाम है एवं अपीलार्थी का पदस्थापन स्थान दोनों ही त्रुटिपूर्ण है। जो कि बिना विवेक के आलोच्य आदेश जारी किया गया है। उक्त स्थिति के दृष्टिगत प्रकरण में हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावे जहां आलोच्य आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था। साथ ही निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य